निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 292/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

शर्मिष्ठा पुत्री राजेन्द्र कुमारी पत्नी जयकिरत सिंह निवासी खेडा हाऊस 89, गंगलवाल पार्क, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार दूदू, जिला जयपुर।
2. यागिनी सिंह नाबालिग जरिये संरक्षिका माता संतोष कंवर पत्नी श्री सूरवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
3. योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री सूरवीर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम दूदू, तहसील दूदू, जिला जयपुर।
4. भारती सिंह पत्नी श्री विजय सिंह पुत्री राजेन्द्र कुमारी जाति राजपूत, निवासी सानकोटडा हवेली, फल मण्डी, जौहरी बाजार, जयपुर ।
5. पूनम पत्नी श्री धन्नजय प्रताप सिंह पुत्री राजेन्द्र कुमारी निवासी 502 एलीट स्ट्रेट, सैक्टर 18, वसुन्धरा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत पीठासीन अधिकारी तहसीलदार दूदू जिला जयपुर में लम्बित प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 उनवानी सरकार बनाम श्रीमती यागिनी सिंह व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री धीरज गुप्ता अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से।
3. श्री संजय शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 16.01.2023

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार दूदू जिला जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र संख्या 13/2022 उनवानी सरकार बनाम श्रीमती यागिनी सिंह व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार दूदू से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से वकील श्री धीरज गुप्ता एवं अप्रार्थी 4 व 5 की ओर से वकील श्री संजय शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब पेश किया।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि मिन प्रार्थिया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण में जबाब प्रस्तुत कर दिया तथा प्रकरण वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 05.08.2022 हेतु दिनांक 02.12.2022 में नियत किया गया प्रार्थिया न्यायालय के समक्ष दिनांक 02.12.2022 को उपस्थित हुई तो पीठासीन अधीकारी संख्या 1 प्रशासनिक कार्य में व्यस्थ होने के कारण न्यायालय में सांय 4.30 बजं तक उपस्थित नहीं आये। तदुपरान्त प्रार्थिया द्वारा रीडर/बाबू से सम्पर्क करने पर अगत करावाया गया कि उक्त प्रकरण में 05.12.2022 नियत की गई है। मिन प्रार्थिया दिनांक 05.12.2022 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई तो जानकारी में आया कि दिनांक 02.12.2022 को प्रकरण में मिन प्रार्थिया एवं अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की अनुपस्थिति दर्ज की गई है तथा उक्त प्रकरण दिनांक 05.12.2022 में नियत नहीं होकर दिनांक 07.12.2022 में नियत है। इस पर प्रार्थिया को काफी हैरान हुई। अप्रार्थी संख्या 1 के उक्त कृत्य से प्रार्थिया को पूर्ण अन्देशा है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थिया को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। उक्त प्रकरण में पूर्व में भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जानबूझ कर मिन अप्रार्थी को नुकसान पहुंचाने की आशय से आदेशिका में कांट छांट करते हुये मनमानी पूर्वक मिन अप्रार्थी की अनुपस्थिति मे गवाह के बयान भी लेखबद्व कर लिये गये । जबकि उक्त प्रकण में ना तो गवाहों को नोटिस जारी किये गये ना ही गवाहों को तलब किये जाने के संबंध में कोई आदेश है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा न्यायालय प्रक्रिया का दुरूपयोग किया जा रहा है तथा प्रार्थिया द्वारा दिनांक 07.12.2022 को न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र साक्ष्य तलब किये जाने का प्रस्तुत किया तो अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिये जाने से इंकार कर दिया तथा निर्देश दिया कि धारा 135 (2) के तहत दर्ज प्रकरणों में संक्षिप्त प्रकिया अपना कर कार्यवाही करनी होती है तथा उक्त प्रकरण में भी निर्णय पारित किया जाना आवश्यक हो गया है । इस पर मिन प्रार्थिया द्वारा पुनः अप्रार्थी संख्या 1 से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया तो प्रार्थना पत्र को रिकार्ड पर ले लिया, परन्तु साक्ष्य तलब करने से स्पष्ट इंकार कर दिया और निर्देश दिया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2022 को निस्तारण भी प्रकरण के अन्तिम निस्तारण के साथ ही कर दिया जायेगा जो कि कतई न्यायोचित नही है। यहां यह लिखना भी आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्व॰ महिपाल सिंह जी की

जिला कलक्टर
जयपुर

सम्पत्ति हड़प करने के आशय से फर्जी एवं कूटरचित वसीयत बनाई है जिसके संबंध में एफ आई आर संख्या 430/2022 पुलिस थाना सदर जयपुर में जैरकार है । उक्त सम्पूर्ण तथ्यों का मिन प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2022 में किया है। तदउपरान्त भी उक्त सम्पूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज कर बिना साक्ष्य तलब किये फर्जी कूट रचित वसीयत के आधार पर उक्त प्रकरण का निर्णय करने पर आमादा है । इस प्रकार न्यायालय की कार्यशैली से पूर्ण अंदेशा हो गया कि प्रार्थिया को उक्त न्यायालय से न्याय नहीं मिल सकता है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी वाद पत्र में विचाराधीन प्रार्थना पत्र का निस्ताण वाद के अन्तिम निस्तारण करने से पूर्व किये जाना आवश्यक है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा मिन अप्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 07.12.2022 का निस्तारण भी प्रार्थना पत्र के अन्तिम निस्तारण के साथ किये जाने के निर्देश दिये गये है। जिससे स्पष्ट है कि मिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा साक्ष्य तलब किये जाने से प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाते हुये अन्तिम निस्तारण कर अप्रार्थी संख्या 2 से मिलीभगत कर बेजा लाभ पहुंचाने के आशय से राजनैतिक दबाव में उक्त प्रकरण का निर्णय करने पर आमादा है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का आचरण कतई न्यायिक विवेकनुसार नहीं है। प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रकरण की नकल चाहने बाबत दिनांक 07.12.2022 का आवेदन प्रस्तुत किया गया था तथा विधि के सुस्थापित सिद्वान्तो के अनुसार एक कार्य दिवस में ही नकल उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक है, जबकि पीठासीन अधिकारी द्वारा नकल उपलब्ध कराये जाने में भी लगातार आनाकानी की जा रही है । इस प्रकार पीठासीन अधिकारी के बार बार कृत्य एवं व्यवहार से प्रार्थिया को यह प्रतीत होने लगा है कि प्रकरण में प्रार्थिया को निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पत्रावली को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय एवं प्रशासन में स्थापित विधिक सिद्वान्तों की पालना में आवश्यकीय है। विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तो की पालना में जहां – When applicant has doubt that he will not get the justice by presiding officer of the court case should be transferred to the other Court. As it is not sufficient that justice has been done. It should appear to the parties that justice has been don, 2011 RRD- 627. जहां ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की सूरत में एवं रिजनेबल एवं वेलिड आधार मौजूद हो वहां प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में ही सुविधा का सन्तुलन होने की सूरत में प्रकरण को मुन्तिकिल किया जाना आवश्यक है। प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिये बल्कि दर्शित भी होना चाहिये कि न्याय हो रहा है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अनुचित प्रभाव में है तथा उन्होंने स्पष्ट तौर पर प्रार्थिया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की अनदेखी कर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्णय कर देने की

जिला कलक्टर
जयपुर

चेतावनी भी दे दी है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार दूदू से प्रार्थी को न्याय मिलने की कतई सम्भावना नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।.

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि स्व॰ श्री महिपाल सिंह के कोई जायन्दा संतान नहीं थी, परन्तु स्व॰ श्री महिपाल सिंह ना–औलाद फोत नहीं हुए। अर्थात महिपाल सिंह की निसंतान मृत्यु नहीं हुई। क्योंकि श्री महिपाल सिंह ने अपने व अपनी पत्नी श्रीमती महेन्द्र कुमारी के जीवनकाल में व श्रीमती महेन्द्र कुमारी की सहमति से यागिनी सिंह जायदा पुत्री श्री शूरवीर सिंह एवं श्रीमती संतोष कंवर को गोद/दत्तक ग्रहण कर लिया था। चूकि यागिनी सिंह के जन्म के कुछ समय पश्चात ही यागिनी सिंह को श्री महिपाल सिंह ने गोद/दत्तक ग्रहण कर लिया था । इसलिए तभी से यागिनी सिंह, श्री महिपाल सिंह एवं महेन्द्र कुमारी की पुत्री हो गई और यागिनी सिंह की सम्पूर्ण देखभाल, पालन पोषण, शिक्षा आदि श्री महिपाल सिंह ने की । इस प्रकार श्री महिपाल सिंह ना औलाद नहीं थे और उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी विधिक वारिस एवं सम्पत्तियों की उत्तराधिकारी एक मात्र यागिनी सिंह है, क्योंकि महिपाल सिंह की मृत्यु से पूर्व ही श्रीमती महेन्द्र कुमारी की मृत्यु हो चुकी थी। प्रार्थी व उसके परिवार जन की नियत में खोट है तथा यागिनी सिंह की बाल्यावस्था का नाजायज फायदा उठाकर येन केन प्रकारेण यागिनी सिंह पर असम्यक असर एवं दबाव बना कर प्रताड़ित कर श्री महिपाल सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्तियों के अधिकारों से यागिनी सिंह को वंचित कर बेदखल करना चाहते है। श्री महिपाल सिंह की मृत्यु के दिन दिनांक 09.06.2022 को रात्रि को भी परिवादी व अन्य ने यागिनी सिंह के साथ मारपीट व गाली गलौच की। दूसरे दिनं दिनांक 10.06.2022 को भी परिवादी व अन्य ने यागिनी सिंह के साथ मारपीट की व धमकी दी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 308/2022 दिनांक 11.06.2022 को यागिनी सिंह ने पुलिस थाना दूदू जयपुर ग्रामीण में दर्ज करवाई, जिसमें अनुसंन्धान चल रहा है। यागिनी सिंह ने स्व॰ श्री महिपाल सिंह की मृत्यु उपरान्त उनके द्वारा व माता श्री महेन्द्र कुमारी द्वारा छोड़ी गई कृषि भूमियों का नामान्तरकरण अपने नाम किये जाने के लिए प्रार्थना पत्र तहसीलदार दूदू के समक्ष प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 13/2022 सरकार बनाम शर्मिष्ठा दर्ज हुआ, जिसको विलम्ब करने के उद्देश्य से मिथ्या प्रार्थना पत्र प्रार्थी व अन्य ने प्रस्तुत किया, जो प्रकरण संख्या 16/2022 सरकार बनाम शमिष्ठा दर्ज हुआ और दोनों ही प्रकरणों का निस्तारण होने को आया तो, केवल प्रकरण को देरीना/विलम्ब करने के उद्देश्य से यह मिथ्या मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो व्यर्थ है। फलस्वरूप भरी हर्जे के साथ खारिज किये जाने योग्य है। वास्तविक तथ्य यह है कि गुणावगुण पर प्रार्थी

जिला कलक्टर
जयपुर

का प्रकरण बहुत ही कमजोर है एवं निरर्थक है जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का प्रकरण गुणावगुण पर मजबूत सही व सत्य है। इसलिए प्रार्थी एवं इसकी बहिने भारती सिंह व पूनम सिंह प्रकरण के निस्तारण में येनकेने प्रकारेण विलम्ब करना चाहती है और प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहती है । इसलिए ही प्रार्थी की बहिन एवं अप्रार्थी संख्या 4 भारती सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी श्री रमेश चन्द माहेश्वरी के खिलाफ भी मिथ्या, मनगढन्त एवं झूंठे आरोप लगा कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 172/2022 श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें पीठासीन अधिकारी श्री रमेशचन्द माहेश्वरी की पदोन्नति होकर अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने के कारण मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रभाव शून्य (Infructuous) होकर दिनांक 13.10.2022 को निस्तारित हो गया । तत्पश्चात वर्तमान पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण में सुनवाई प्रारम्भ की और दिनांक 07.12.2022 को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र पर बहस सुन कर पत्रावली वास्ते आदेश तारीख पेशी 14.12.2022 नियत की गई, जिससे पहले ही दिनांक 12.12.2022 को मिथ्या तथ्यों के आधार पर तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली की आदेशिकाओं से परे तथ्य अंकित करते हुये यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जो खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रत्येक पीठासीन अधिकारी के विरूद्व शिकायत कर उन पर आरोप प्रत्यारोप कर बार–बार मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना विधि एवं प्रक्रिया का गम्भीर दुरूपयोग एवं मजाक–मखौल है। इसलिए मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के अधिवक्ता ने प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का समर्थन करते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 राजनैतिक दबाव में होने के कारण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये विना अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये उक्त प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में निर्णय करने पर आमादा है। अतः उक्त प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने आदेश फरमावें।

7. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

8. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र मुन्तिकिल में जो तथ्य अंकित किये गये है उनके समर्थन में कोई माकूल साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। तहसीलदार दूदू ने अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि " स्व॰ श्री महिपाल सिंह की विरासत हेतु एक अनरजिस्टर्ड वसीयत पेश होने पर एल आर एक्ट 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर किया गया। दोनों पक्षों द्वारा महिपाल सिंह की विरासत हेतु आवेदन किया गया है। प्रकरण संख्या 16/2022 को 13/2022 सरकार बनाम यागिनी सिंह के साथ हमफिता किया गया है, जो कि न्योयाचित है। समान प्रकृति होने के कारण ही दोनों

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकरणों की एक साथ सुनवाई की जा रही है। इस मामले में पूर्व में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 172/2022 दिनांक 08.08.2022 को श्रीमान के न्यायालय में दायर किया गया था जिसको दिनांक 13.10.2022 को खारिज किया जा चुका है। " हमारे विनम्र मत के अनुसार फौरी कारणों से मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिये क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। क्योंकि इससे न्याय व्यवस्था में व्यवधान पैदा होता है और पीठासीन अधिकारी की विश्वसनीयता में बिना किसी कारण के कमी आती है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में ठोस एवं उचित कारण नहीं होने से यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

9. तहसीलदार दूदू को निर्देश दिये जाते है कि उनके समक्ष लम्बित प्रकरण का विधि अनुसार उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर मैरिट पर निस्तारण करें।

10. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा तहसीलदार दूदू को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

11. निर्णय आज दिनांक 16.01 य.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर